संख्या-21/2018/705/12-5-2018-सा०-12/2018

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 11 जून, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अ०कृ०नि०(सा०)शि०/17/पीएमकेएसवाई-बजट/2018-19, दिनांक 05.05.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 166.55 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू० 19.84 लाख कुल रू० 186.39 लाख (रू० एक करोड़ छियासी लाख उन्तालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 0201-मृदा तथा जल संरक्षण की योजनाएं (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी एवं 42-अन्य व्यय आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-21/2018/705(1)/12-5-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि भवन, लखनऊ।
6. विषय वस्तु विशेषज्ञ, सस्य एवं वानिकी, कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
10. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।